

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक— वि.प्रा.(III)ब-8 / 2013 (पार्ट)-

/पटना, दिनांक

प्रेषक

अतुल सिन्हा,

निदेशक

सेवा में,

प्राचार्य,

राजकीय पोलिटेक्निक, जमुई

विषय:— वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य स्कीम बजट के “मुख्य शीर्ष—4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष—02—तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष—104—बहुशिल्प, मांग संख्या—43, उपशीर्ष—0109—पोलिटेक्निक (निश्चय)” विपत्र कोड 43—4202021040109 के अधीन आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या—1794, दिनांक 27.07.2017 के द्वारा विभागान्तर्गत नवरथापित राजकीय पोलिटेक्निक, जमुई के विभिन्न प्रयोगशालाओं में आवश्यकता आधारित मशीनें एवं उपकरण तथा छात्रावास में आवश्यक उपरक्तर के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल रु. 1,66,50,000=00 (एक करोड़ छियासठ लाख पचास हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2017–18 में नियमानुसार व्यय हेतु विषयाकित बजटशीर्ष के अधीन 52—मशीनरी एवं उपरक्तर विस्तृत शीर्ष के 01 मशीनें एवं उपरक्तर—कार्यालय तथा 02 मशीनें एवं उपरक्तर—अन्य विषयशीर्षों में उपर्युक्त राशि से कुल रु. 1,66,50,000=00 (एक करोड़ छियासठ लाख पचास हजार रुपये) मात्र का आवंटन निम्नवत प्रदान किया जाता है—

क्रम	विषयशीर्ष	आवंटित राशि (रुपये में)
1.	5201 मशीनें एवं उपरक्तर— कार्यालय	1650000=00
2.	5202 मशीनें एवं उपरक्तर— अन्य	1500000=00
	कुल	16650000=00

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या— 2561 / वि.(2), दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक—428, दिनांक 31.03.2017 में अंकित प्रावधानों के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव उक्त परिपत्रों एवं वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा—निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रूप से किया जाय।

3. उक्त आवंटित राशि का दूसरे मदों में अपवर्त्तन कदापि नहीं किया जाय।

4. विभिन्न विषयशीर्षों में राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपरथापन के क्रम में कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर विपत्र कोड/मुख्यशीर्ष/उपमुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/मांग संख्या/कूट संख्या सहित विषयशीर्षों के नाम का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोरिटंग में सुविधा हो सके।

5. स्वीकृत्यादेश / आवंटनादेश तथा विपत्रों के कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग का पूर्व प्रेषित पत्रांक 280 / वि(2), दिनांक 29.03.2003 में अंकित दिशा—निर्देश का अनुपालन अक्षरशः किया जाय।

6. टी. भी. न. एवं तिथि सहित व्यय विवरणी प्रत्येक माह के 7 (सात) तारीख तक निश्चित रूप से महालेखाकार, बिहार, पटना एवं अधोहरताक्षरी को उपलब्ध कराया जाय।

7. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

हॉ/ —

(अतुल सिन्हा)

निदेशक

ज्ञापाक— वि.प्रा.(III)ब-८ / 2013 (पार्ट)—

/ पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले. एवं हक.), बिहार, पटना / महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना / सचिंव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ -

निदेशक

ज्ञापाक— वि.प्रा.(III)ब-८ / 2013 (पार्ट)—

/ पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ -

निदेशक

ज्ञापाक— वि.प्रा.(III)ब-८ / 2013 (पार्ट)—

33/671 / पटना, दिनांक २५-८-०१७

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो) / योजना सहायक/आई.टी. मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु) / एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाइल में संधारण हेतु (निर्गत शाखा), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

A
24.08.17
निदेशक

✓
20/6/17

1
2